

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम...खीवसर...

दामोदर बनाम घनश्याम

किस्म मुकदमा...राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

मु. नं. 50 .सन्..2017

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	26.04.2017	


वादी ने जरीये वकील प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट राजस्व वाद जो दर्ज रजिस्टर हो तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.05.2017 को पेश हो।


सहायक कलक्टर
खीवसर

1.5.17
दरवाजे के उभरे काले उपस्थित, विपक्ष
उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण का नाम
हालत में रफ्त करने हेतु दोनों पक्ष सहमत
अन्ति: प्रकरण को अदालत में रफ्त किया जात
है। बक्षसकारान दिनांक 13.6.17
द्वारा अदालत में पेश किया गया है -


सहायक कलक्टर
खीवसर

13.6.17
उक्त प्रकरण आज राजस्व लाक अदालत
आपक द्वार, कम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारान को प्रकरण र
राजिनामा करने हेतु समझाया गया।
पक्षकारों व मध्य प्रकरण में राजिनामा हेतु
सहमति नहीं हो पाई, अतः प्रकरण न्यायलय में
दिनांक 9.10.17 को पेश है
पी. प्रसीन अधिकारी,
आपक कोर्ट द्वारा
कम्प कोर्ट में पेश है


पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पेशगीन अधिवक्ता जी की
पेशगीन अधिवक्ता जी की
पेशगीन अधिवक्ता जी की
दिनांक 26.12.17

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

मा

नं०

सन

हुक्म या कार्यवाही मय इजिशियल्स जज

13-2-19

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पञ्जाब के राज्य न्यायाधीश
प्रशासन के मीमन तय करके आज
के केस करे, मियन तय करके 15 डि.
14.5.19 के केस के

सहायक कलेक्टर
(SDO), खीवसा

14/5 पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीअसीन अहकाम के मीमन/भ्रमण/
स्थानान्तरण की वृत्त के अधिवक्ता पर गये हुए
है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 16/7
को प्रस्तुत है।

16.7.19

पञ्जाब के राज्य न्यायाधीश प्रति
प्रशासन के मीमन तय करके आज के
केस करे, मियन तय करके 9 मियन 5
के नया अधिवक्ता की मीमन/मियन
तय करके 22.9.19 के केस के

26/9

सहायक कलेक्टर
(SDO), खीवसा

17/12

10/7/21

अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
दिनांक 18/10/21

23/6

अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
दिनांक 14/12

लोक अदालत
खीबसर

14/12

अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
दिनांक 11/4/22

लोक अदालत
खीबसर

11/4/22

अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
दिनांक 18/7/22

13/7/22

अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
दिनांक 15/11/22

15/11/22

अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
अधिकांश के अंतर्गत उपस्थित
दिनांक 15/11/22

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आदि अवसर के उपरान्त भी वहीनवादी
के आदिनांब तक गयी पैसा नही की
युक्ति प्रकरण बहुत दुराग है इसलिए
उम्मीद बाद को वहीनवादी के द्वारा गयी
पैसा नही बूले के कारण आदेश-9,
क्रिम-5 के तहत खारिज विन्य जाया
है।

पत्रावली कैशाल कुमार होबरा, गम्हा
के उम होबरा बाद जाया दाखिल
दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) खींवर